

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 151/2017

बउनवान

गोपाल पुत्र गोबरया जाति—गुर्जर निवासी—तूमडा

तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :— 1. श्री सत्येन्द्र जमोदिया, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 19.04.2018

अपीलांट ने जय्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.3.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—तुलसां, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर 100/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जय्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी से अपीलांट ने कब्जा छोड़ दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 301/12 निर्णय दिनांक 23.02.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रोपर तामील कराकर, विधिवत सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 301/12 निर्णय दिनांक 23.02.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 595/14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राब०)